भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

04.12.2024 के

तारांकित प्रश्न सं. 137 का उत्तर

तमिलनाडु में नई रेल लाइनों के लिए धनराशि के आवंटन में कमी

***137. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तमिलनाडु में नई रेल लाइनों के लिए धनराशि के आवंटन में उसी वर्ष के अंतरिम बजट में घोषित राशि की तुलना में 70 प्रतिशत की कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्य की बढ़ती जनसंख्या के दृष्टिगत और इसकी अर्थव्यवस्था में सहायता के लिए राज्य में विस्तारित रेलवे बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण आवश्यकता के बावजूद, धनराशि में इस भारी कमी के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार का वित्तपोषण में इस कमी को किस तरह से पूरा करने का इरादा है और इसका उक्त राज्य में चल रही और प्रस्तावित रेल परियोजनाओं के पूरा होने और उनकी प्रगति पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वित्तपोषण में इस कमी से क्षेत्रीय विकास, रोजगार सृजन और देश के बाकी हिस्सों के साथ तमिलनाडु के समग्र सम्पर्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विशेषत: देश में उक्त राज्य के प्रमुख आर्थिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में महत्व को ध्यान मेंरखते हुए, इस कटौती पर पुनर्विचार करने और इस धनराशि को पुनः उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

तमिलनाडु में नई रेल लाइनों के लिए धनराशि के आवंटन में कमी के संबंध में दिनांक 04.12.2024 को लोक सभा में डॉ. कलानिधि वीरास्वामी के तारांकित प्रश्न सं. 137 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन राज्य-वार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, अंतिम छोर संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों के संवर्धन, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्व आदि के आधार पर शुरू किया जाता है, जो चालू परियोजनाओं के थ्रोफॉरवर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे जोनों में आती हैं। रेल परियोजनाओं का विवरण जिसमें लागत, व्यय और परिव्यय शामिल है, भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 22 रेल अवसंरचना परियोजनाएँ (10 नई लाइन, 03 आमान परिवर्तन और 09 दोहरीकरण) जिनकी कुल लंबाई 2,587 किलोमीटर तथा लागत 33,467 करोड़ रुपए है, योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 665 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2024 तक 7,153 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। इसका सारांश निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी.)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी.)	मार्च, 2024 तक किया गया व्यय (करोड़ रू में)
नई लाइन	10	872	24	1,223
आमान परिवर्तन	03	748	604	3,267
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	09	967	37	2,664
कुल	22	2,587	665	7,153

तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:-

अवधि	परिव्यय
2009-14	₹879 करोड़/वर्ष
2024-25	₹6,362 करोड़ (7 गुना से अधिक)

वर्ष 2009-14 और 2014-24 के दौरान तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली नए रेलपथ की कमीशनिंग/बिछाने का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन किया गया कुल रेलपथ
2009-14	923 किलोमीटर
2014-24	1,302 किलोमीटर

यद्यपि निधि आवंटन में कई गुना वृद्धि हुई है, किंतु परियोजना के निष्पादन की गति त्वरित भूमि अधिग्रहण पर निर्भर करती है। रेलवे, राज्य सरकार के माध्यम से भूमि अधिग्रहण करती है और रेल परियोजनाओं का पूरा होना भूमि अधिग्रहण पर निर्भर करता है। बहरहाल, तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण रुका हुआ है। तमिलनाडु में भूमि अधिग्रहण की स्थिति इस प्रकार है:

तमिलनाडु में परियोजनाओं के लिए अपेक्षित कुल भूमि	3389 हेक्टेयर
अधिगृहीत भूमि	866 हेक्टेयर (26%)
अधिग्रहण हेतु शेष भूमि	2523 हेक्टेयर (74%)

भारत सरकार परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए प्रतिबद्ध है, तथापि इसकी सफलता तमिलनाडु सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, भूमि अधिग्रहण के कारण लंबित कुछ मुख्य परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)	अधिगृहीत भूमि (हेक्टेयर में)	अधिग्रहण हेतु शेष भूमि (हेक्टेयर में)
1	टिंडीवनम-तिरुवनमलाई नई लाइन (185 कि.मी.)	273	33	240
2	अट्टीपट्टू-पुत्तूर नई लाइन (88 कि.मी.)	189	0	189
3	मोराप्पुर-धर्मापुरी (36 कि.मी.)	93	0	93
4	मन्नारगुडी-पट्टूकोट्टाई (41 कि.मी.)	152	0	152
5	तंजावूर- पट्टूकोट्टाई (52 कि.मी.)	196	0	196

किसी रेल परियोजना का पूरा होना विभिन्न कारकों जैसे राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, परियोजनाओं की प्राथमिकता, बाधक जनोपयोगिताओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक मंजूरी, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, किसी परियोजना स्थल विशेष के लिए एक वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि पर निर्भर करता है।

रेल परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल हैं:- (i) गति शक्ति इकाइयां स्थापित करना (ii) परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करना (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं पर निधि के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि करना (iv) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन करना (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी और (vi) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव संबंधी मंजूरियों और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करना। इसके परिणामस्वरूप 2014 से कमीशनिंग की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

*****